

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०2/02-08/2017 12 पटना, दिनांक-12.07.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर, कैमूर (भभुआ), जमुई,
जहानाबाद, एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय योजनागत योजना क्षेत्रफल एवं उत्पादन के द्रुत सर्वेक्षण शीर्ष अन्तर्गत मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए 27,12,000/- (सताइस लाख बारह हजार सौ) रुपये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ए०एस०आई० डीविजन के पत्र संख्या-2-3/2017/ASI-ES दिनांक 18.05.2017 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना क्षेत्रफल एवं उत्पादन के द्रुत सर्वेक्षण योजना के वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50.00 (पचास) रुपये के व्यय पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अपने पत्रांक-जी० 30011/8/2016-EA दिनांक 22.06.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के पश्चात् अवशेष राशि 27.17 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
4. तदनुसार उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध राशि में से संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।
5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0408 -क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण योजना शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040408 है।
6. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 5 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी बक्सर, कैमूर (भभुआ), जमुई, जहानाबाद एवं गोपालगंज होंगे जो संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।



